कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कियी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल** के माह **12/2015** से **08/2017** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ए0के0 श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **04.09.2017** से **11.09.2017** तक श्री प्रेमचन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0 के0 सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **03.12.2015** से **11.12.2015** तक श्री पी0सी0 श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह **05/2013** से **11/2015** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **12/2015** से **08/2017** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **टिहरी गढवाल**
(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-			3784.81	3774.80	-	-
2015-16	-	-			4257.84	4171.87	-	-
2016-17	-	-			3489.15	3488.69	-	-
2017-18	-	-			5438.09	2526.20	-	-

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
.....शून्य.....					

(iii)इकाई को बजट आवंटन(स्रोत-राज्य एव केन्द्र) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी** गढ़वाल 'ए' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक(ना0पुं0 एवं सा0पु0), उप-निरीक्षक(ना0पुं0,सा0पु0, एम0),सहा0 उप-निरीक्षक(ना0पुं0,सा0पु0, एम0), मुख्य आरक्षी , आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी।

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल लेखापरीक्षा को आच्दादित किया

गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीखा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2016, 01/2017 एवं 05/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के(कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः01-मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 23.73 लाख की धनराशि कम वसूल किये जाने से राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अगस्त 2016 के बिन्दु 2 के धारा 179 (i) अनुसार विधि के अनुसार दिये गये निर्देशों का पालन न करने पर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधो पर रू 500 वाहन स्वामी से प्रशमन कर सकेगें का प्रावधान है। लेकिन ऐसा न कर निम्न थाना के प्रभारी एवं उप निरीक्षकों द्वारा रू 500 के स्थान पर 100 प्रति वाहन अर्थात रू 400 प्रति वाहन कम वसूल लिया गया है। जिसके कारण की धनराशि रू 23.73 लाख की राजस्व की हानि हुई है। जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	थाना का नाम	अवधि	धारा सं0	प्रकरणों की संख्या	वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट के अनुसार वसूल किया जाना था	कम वसूल की गई धनराशि
1	टिहरी	11/8/16 से 8/17	179(i)	1362	100	500	544800
2	घनसाली	11/8/16 से 8/17	179(i)	325	100	500	130000
3	लम्बगांव	11/8/16 से 8/17	179(i)	258	100	500	103200

4	थत्यूड	11/8/16 से 8/17	179(i)	200	100	500	80000
5	नरेन्द्रनगर	11/8/16 से 8/17	179(i)	303	100	500	121200
6	कीर्तिनगर	11/8/16 से 8/17	179(i)	529	100	500	209600
7	चम्बा	11/8/16 से 8/17	179(i)	801	100	500	320400
8	हिण्डोलाखान	11/8/16 से 8/17	179(i)	265	100	500	106000
9	देवप्रयाग	11/8/16 से 8/17	179(i)	346	100	500	138400
10	मुनिकीरेती	11/8/16 से 8/17	179(i)	1147	100	500	458800
11	कैम्पटी	11/8/16 से 8/17	179(i)	402	100	500	160800
योगः							2373200

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि शासनादेश उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त वसूली नियमानुसार नही की गई है। भविष्य हेतु नोट किया गया है।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदीसनता के कारण शासनादेश में दिये गये धारा 179(i)के अनुसार चालान किये गये वाहनों से कम धनराशि की वसूली किये जाने से राजस्व की हानि हुई।

अतः मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालान किये गये वाहनों से रू 23.73 लाख की धनराशि कम वसूल किये जाने से राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>कार्यालयः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद-टिहरी गढवाल</u>

चालान किये गये वाहनों से कम वसूली की गई धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	थाना का नाम	अवधि	धारा सं0	चालान किये गये वाहन की संख्या	वसूल की गई धनराशि	एम वी एक्ट के अनुसार वसूल किया जाना था	रू 400 प्रति वाहन कम वसूल की गई धनराशि
1	टिहरी	11/8/16 से 8/17	179(i)	1362	100	500	544800
2	घनसाली	11/8/16 से 8/17	179(i)	325	100	500	130000
3	लम्बगांव	11/8/16 से 8/17	179(i)	258	100	500	103200
4	थत्यूड	11/8/16 से 8/17	179(i)	200	100	500	80000
5	नरेन्द्रनगर	11/8/16 से 8/17	179(i)	303	100	500	121200
6	कीर्तिनगर	11/8/16 से 8/17	179(i)	529	100	500	209600
7	चम्बा	11/8/16 से 8/17	179(i)	801	100	500	320400
8	हिण्डोलाखान	11/8/16 से 8/17	179(i)	265	100	500	106000
9	देवप्रयाग	11/8/16 से 8/17	179(i)	346	100	500	138400
10	मुनिकीरेती	11/8/16 से 8/17	179(i)	1147	100	500	458800
11	कैम्पटी	11/8/16 से 8/17	179(i)	402	100	500	160800
योगः							2373200

<u>भाग-II 'ब'</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की विलम्ब की स्थिति में दण्ड प्रभार रू 9.75 लाख की धनराशि का वसूल न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश द्वारा फरवरी .2015 द्वारा जनपद टिहरी गढवाल में थाना चम्बा में श्रेणी -2 के 02 आवास, पुलिस चौकी कैलाशगेट के अनावासीय,पुलिस चौकी तपोवन के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं जलपुलिस चौकी मुनिकीरेती शिवपुरी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण हेतु रू 1447.38 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष पुलिस मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अप्रैल 2015 के द्वारा कार्यदायी संस्था मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून को अवमुक्त कर दिया गया था।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि अनुबन्ध के अनुसार उक्त समस्त कार्य दिनांक 01.06.2015 को प्रारम्भ होकर दिनांक 31.05.2016 को पूर्ण कर दिया जाना था। लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा अगस्त 2017 तक कार्य की प्रगति पर यह दर्शाया गया है, कि उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किया गया है। परन्तु अभी तक स्वीकृत हेतु लंबित है।

पुलिस विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य किये गये अनुबन्ध 14. 2 के अनुसार उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (तीन माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी को देय प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार) से की जायेगी। इस प्रकार उपरोक्त चार निर्माण कार्यो 15 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक अपूर्ण है। विलम्ब की स्थिति में इस गणना इस प्रकार है।

कार्य का नाम	शासनादेश सं0 एवं दिनांक	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	व्यय राशि	तीन माह के बिलम्ब पर दण्ड प्रभार	तीन माह से अधिक बिलम्ब पर दण्ड भार
पुलिसचौकी जाजल	65/xx-8/15-4(3)2013 dated27-03-15	69.28	69.28	62.51	69.28x3x.1% =20784	69.28x12x.25% =207840
पुलिसचौकी कैलाशगेट	65/xx-8/15-4(3)2013 dated27-03-15	52.38	52.38	44.50	52.38x3x.1% =15714	52.38x12x.25% =115714/157140
पुलिसचौकी तपोवन	65/xx-8/15-4(3)2013 dated27-03-15	77.33	77.33	77.30	77.33x3x.1% =23196/231999	77.33x12x.25% =231960/231990
पुलिस चौकी मुनिकीरेती	65/xx-8/15-4(3)2013 dated27-03-15	96.74	96.74.	95.23	96.74x3x.1% =29022	96.74x12x.25% =290220
योगः					88,719	8,87,190

इस प्रकार कार्यदायी द्वारा निर्माण कार्य विलम्ब की स्थिति में कुल रू 88719+ रू 887190=रू 975909 की धनराशि का दण्ड प्रभार वसूल नही किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि उक्त के सम्बन्ध में मुख्यालय से पत्राचार किया जायेगा, तदनुसार लेखापरीक्षा को अवगत करवाया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध किये जाने के बाद भी निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गई थी। और न ही कोई अर्थदण्ड लगाया गया था।

अतः कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य की बिलम्ब की स्थिति में दण्ड प्रभार रू 9.26 लाख की धनराशि का वसूल न किया जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तरः2- यातायात व्यवस्था सुधार एवं चारधाम यात्रा पर रू 16.02 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के प्रस्तर 12 (1) के अनुसार रू 3 लाख से रू 60 लाख तक की सामग्री का क्रय सीमित निविदा प्रकिया अपनाकर क्रय कि का प्रावधान है।

अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून द्वारा जनवरी 2017 को पुलिस यातायात के सुदृढीकरण हेतु रू 6.012 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त कर दी गई थी। जिसके सापेक्ष रू 6.012 लाख की धनराशि व्यय कर दी गई है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मई 2016 द्वारा चारधाम यात्रा में तैनात पुलिस कर्मियों की भोजन व्यवस्था, यात्रा व्यय एवं अन्य तात्कालिन कार्यो की व्यवस्था पर व्यय हेतु जनपद-टिहरी गढवाल के लिए रू 10 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। अवमुक्त धनराशि का व्यय कर दिया गया था।

कार्यालय के यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण एवं चार धाम यात्रा क्रय पत्रावली की जांच में पाया गया है कि यातायात के सुदृढीकरण हेतु सामग्रियों का क्रय बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये ही मात्र कोटेशन के आधार पर तीन लाख से कम टुकडें-2 में करके रू 6.012 लाख एवं चारधाम यात्रा हेतु अवमुक्त धनराशि रू 10.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर दिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्योंकि विभाग द्वारा क्रय प्रणाली में निविदा प्रक्रिया का पालन न कर कोटेशन के आधार पर टुकडें-2 में क्रय किया गया है। जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

अतः यातायात व्यवस्था एवं चारधाम यात्रा हेतु क्रय की रू 16.02 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तरः3-</u> जनपद टिहरी गढवाल घनसाली में 06 आवास के निर्माण हेतु रू 30.24 लाख की धनराशि अवरूद्ध रखा जाना एवं रू 20.83 लाख व्यय के बाद भी देवप्रयाग में 02 आवास के निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मार्च 2011 के द्वारा जनपद टिहरी गढवाल घनसाली में 6 आवास एवं देवप्रयाग में 02 आवास पुलिस विभाग लोअर सबोडिनेट आवासों के निर्माण हेतु रू 30.24 लाख एवं रू 20.83 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत प्रदान की गई थी। और उक्त समस्त धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गई थी। उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता परियोजना खण्ड यमुना कालोनी देहरादून को नामित किया गया था।

कार्यालय के निर्माण कार्य पत्रावली की जांच में पाया गया है कि घनसाली में 06 आवास के निर्माण हेतु धनराशि रू 30.24 लाख मार्च 2011 में अवमुक्त किये जाने के बाद वन भूमि न मिल पाने कारण आज तक प्रारम्भ नही हो सका। इसी प्रकार देवप्रयाग में 02 आवास का निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2011 में रू 20.82 लाख की धनराशि अवुमुक्त की गई थी। परन्तु अभी तका अपूर्ण है। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की गई तिथि से सम्पेक्षा तिथि अगस्त 2017 तक बैक खाते रखी धनराशि का ब्याज कितना प्राप्त हुआ है। उसका विवरण उपलब्ध नही कराया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही किया जा सका है। कार्यदायी संस्था से पत्राचार किया जायेगा। तदनुसार अवगत कराया जायेगा।

उत्तर मान्य नही हैं क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण विगत सात वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी भूमि उपलब्ध नही करायी गयी।

अतः जनपद टिहरी गढवाल में घनसाली में 06 आवास कके निर्माण हेतु धनराशि अवरूद्ध रखा जाने एवं देवप्रयाग में 02 आवास के निर्माण कार्य अपूर्ण रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> विभाग को संयोजन शुल्क से प्राप्त राजस्व के प्रति उदासीनता का प्रकरण।

पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून, दिनांकः जून 24,2016 के पत्र संख्या- डीजी-याता0प्र0-74/2016 द्वारा समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड को 'मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन पर सयोजन शुल्क से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने की वर्तमान प्रचलित एवं सयोंजन शुल्क की प्रयोग में लाई गयी पुस्तकों के रख-रखाव' के सम्बंध में निर्देशित किया गया था कि- प्रत्येक जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण, रख-रखाव, संयोजन शुल्क धनराशि को समय से जमा कराने तथा जमा धनराशि का मिलान प्रत्येक तीन माह(जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर)/में कराया जाना चाहिए। तथा अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई त्रैमासिक सम्प्रेक्षा का विस्तृत विवरण सम्बंधित जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षकों को दी जायें। समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा जमा की गयी संयोजन शुल्क धनराशि की छः माह की सूचना पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करे।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल के संयोजन शुल्क पुस्तिका वितरण एवं वापसी पंजिका की जांच में पाया गया कि माह दिसम्बर, 2015 से अगस्त,2017 तक कार्यालय द्वारा विभिन्न थानों एवं कोतवालियों को वितरित की गयी संयोजन पुस्तिओं का सदंर्भित पंजिका में पंजिका के किसी भी पृष्ठ पर कार्यालय द्वारा जनपद के समस्त थानों से पुरानी पुस्तिकाओं की वापसी का विवरण तथा रख-रखाव से सम्बंधित लेखाबन्दी या मासिक सार नहीं बनाया जा रहा था एवं पंजिका को सक्षम अधिकारी से सत्यापन भी नहीं करवाया जा रहा था साथ ही पंजिका में उल्लिखित स्तम्भ 'पुरानी जमा' स्तम्भ में कई पुस्तिकाओं की वापसी से सम्बंधित प्रविष्टियॉ भी दर्ज नहीं की गयी थी। उक्त के परिणामस्वरूप यह ज्ञात नहीं हो पाया कि जनपद कार्यालय द्वारा जनपद के समस्त थानों एवं कोतवालियों को कुल जारी पुस्तिकाओं में कौनसी पुस्तिका वापस कार्यालय को प्राप्त हुयी थी तथा कौनसी पुस्तिका वापसी हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर लम्बित थी, जबकि जनपद कार्यालय से थानों को पुरानी संयोजन पुस्तिकाए प्राप्त किये बिना ही नई पुस्तिकाए निरन्तर जारी की गयी थी।

पुनः संयोजन शुल्क से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यालय में संयोजन शुल्क की अपर पुलिस अधीक्षक/ उपाधीक्षक स्तरीय त्रैमासिक सम्प्रेक्षा नहीं करायी गयी थी तथा छमाही रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय- देहरादून को भी प्रेषित नहीं की गयी थी

लेखापरीक्षा परीक्षा द्वारा आपत्ति को इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में आदेशों/निर्देशों का पालन किया जायेगा। विभाग के उत्तर से 'राजस्व प्राप्ति' के प्रति विभागीय लापरवाई स्पष्ट होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः2-</u> स्वीकृत नियतन से अधिक अधिकारी/कर्मचारियों का कार्यरत रहने का प्रकरण।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन के अवलोकन में पाया गया कि 51- अधिकारी/कर्मचारी स्वीकृत नियतन के सापेक्ष अधिक उपलब्ध हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	अधिकता
1	पुलिस उपाधीक्षक	02	03	01
2	हे0 का0ना0पु0	62	69	7
3	का0स0पु0	188	217	29
4	कानि0 आरमोरर	01	02	01
5	कानि0टी0पी0	20	21	01
6	है0का0 एमटी	03	04	01
7	कानि0 (अभिसूचना शाखा)	07	17	10
8	का0एम0 (लिपिक संवर्ग)	01	02	01
	योग	**284**	**335**	**51**

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त आपत्ति के सम्बंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में संशोधन हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया जायेगा, विभाग के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः3-</u> स्वीकृत नियतन से अधिक वाहन रखे जाने का प्रकरण।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल के अधीन परिवहन- शाखा के वाहनों का स्वीकृत नियतन से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वीकृत नियतन 26-वाहनों के सापेक्ष कार्यालय में निम्नलिखित कुल 47- वाहन उपलब्ध है अर्थात स्वीकृत नियतन से कुल 21-वाहन अधिक उपलब्ध है। विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	वाहन का नाम प्रकार	स्वीकृत नियतन	उपलब्ध	अधिक
1	मध्यम वाहन	03	11	08
2	हल्के वाहन	18	22	04
3	मोटर साईकिल	05	13	08
4	रिकवरी वैन	00	01	01
	योग	26	47	21

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में कहा है कि उक्त वाहन जनपद में थानों के सापेक्ष मॉगी गयी है तथा स्वीकृत नियतन के संशोधन हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया जायेगा।

अतः स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः4-</u> जनपद के विभिन्न थानों में पड़ी 7-लवॉरिस वाहनों की नीलामी न किये जाने का प्रकरण।

कार्यालय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल के अधीन जनपद के समस्त थानों के अभिलेखों एवं थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया कि जनपद के निम्नलिखित थानों में विगत कई वर्षों से एवं माहों से 07-वाहन लवारिस के रूप में पड़े है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क0	थाने का	गाड़ी का नाम, संख्या एवं	लवॉरिस दाखिला	समयवधि लगभग

स0	नाम	प्रकार	तिथि	
1	नरेन्द्र नगर	CSNo-MAJBXXMRJB8K44092 FORD CAR	13.08.2016	1 वर्ष
2	नरेन्द्र नगर	WB66N1772 INDICA VISTA	13.08.2016	1 वर्ष
3	नरेन्द्र नगर	मे0सा0 न0 यू0ए0 08 डी 8757 इ0न0 OF5D1107513	06.02.2017	7 माह
4	नरेन्द्र नगर	इनोवा कार न0 एच0आर0 55डी 9959	27.02.2017	7 माह
5	थत्थूड़	UA07S 8420	13.07.2017	01 माह
6	घनसाली	एक्टीवा VA07F4533	26.08.2016	01माह
7	लम्बगॉव	बजाज पलसर- चैसेज न0 MD2A13E8CCE13973	10.09.2015	03 वर्ष

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि उक्त वाहनों की नीलामी से सम्बंधित कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि सिद्ध होती है।

अतः स्वीकृत वाहन से अधिक वाहन रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
42/2015-16	-	प्रस्तरः1- समझौता त्रआप के स्वरूप ते तहत 3.17 करोड़ का कार्य न किया जाना प्रस्तरः2- कार्य प्रारम्भ में 03 वर्ष विलम्ब होने से कार्य की लागत में रू 317.00 लाख की वृद्धि।	-
8/2013-14	-	प्रस्तरः1- रू 112800.00 व्यय के बाद भी उद्देश्यों की पूर्ति न होना।	प्रस्तरः1-रू 13010 के निष्प्रोज्य वस्तुओ का निस्तारण न किया जाना। प्रस्तरः2- संयोजन शुल्क की कम वसूली रू 26,700.00/-
41/2010-11	प्रस्तरः1 आवासीय भवनों के निर्माण कार्य पर रू 178.20 लाख की लागत वृद्धि। प्रस्तरः2- भूमि सुनिश्चित के अभाव में धनराशि रू 68.18 लाख का अवरोधन। प्रस्तरः3- विभागीय	-	-

	उदासीनता के कारण 06 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न कराने के कारण रू 30.00 लाघ की लागत से निर्माण कार्य $5\frac{1}{2}$ वर्षों बाद भी आरम्भ न किया जाना। प्रस्तरः4-अस्वीकृत अतिथि गृह के निर्माण पर रू 28.52 लाख का अनियमित व्यय।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
42/2015-16		अप्रस्तुत	अनुपालन आख्या अप्राप्त।	
8/2013-14		प्रस्तुत	निस्तारित करने की संस्तुति की गयी।	
41/2010-11		प्रस्तुत	यथावत रखने की संस्तुति की गयी है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः- **शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री बरिन्द्रजीत सिंह	एस0एस0पी0 (आई0पी0एस0)	09.10.2015	30.05.2016
2	श्री एन0एस0 नपलच्याल	एस0एस0पी0 (आई0पी0एस0)	30.05.2016	17.05.2017
3	श्रीमती विमला गुंज्याल	एस0एस0पी0 (आई0पी0एस0)	17.05.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र